झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड हैण्डीक्राफ्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
(झारक्राफ्ट)
प्रथम तल्ला उद्योग भवन, रातु रोड, राँची
CIN: U17122JH2006SGC012606

पत्रांक–67 राँची दिनांक–25.01.2021

<u>बुनकरों के लिए सूचना</u>

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत बुनकर समितियों/समूहों के लिए कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण, लूम एवं सहायक साज–सज्जा एवं बुनकर वर्कशेड के निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उक्त के आलोक में समितियों/समूहों के द्वारा संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ दिनांक–06.02.2021 तक जमा कर सकते है।

नियम तथा शर्तें झारकाफ्ट के वेबसाईट www.jharcraft.in पर देखा जा सकता है।

ह०/–
प्रबंध निदेशक
झारकाफ्ट, राँची

नियम एवं शर्तेः–

1. बुनकर समूह को 20–20 के समूह में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र दो माह का होगा।
   - (i) जिस–जिस समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा बुनाई प्रशिक्षण दिया जा चुका है वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
   - (ii) प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन मुख्यालय स्तर से योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
   - (iii) सभी वरीय कलस्टर प्रबंधक/कलस्टर विकास पदाधिकारी/वरीय परियोजना प्रबंधक/पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के दौरान समितियों/समूहों का सामूहिक फोटो बैनर के साथ एवं विडियो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. बुनकरों के लिए नये लूम एवं सहायक साज–सज्जा को क्रय किया जायेगा। प्रत्येक समूह पर औसतन रू० 2.00 लाख व्यय अनुमानित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी समूह को 10% की दर से अंशदान के रूप में रू० 20,000/– (बीस हजार रूपये) झारक्राफ्ट, मुख्यालय, राँची को DD/Check के माध्यम से देय करना होगा।
3. बुनकरों के लिए नये बुनकर वर्कशेड का निर्माण किये जाने को लक्ष्य है। प्रत्येक वर्कशेड के निर्माण पर 7 लाख रू० का व्यय होगा, प्रत्येक वर्कशेड में 20–25 बुनकर कार्य करेंगे। भवनों का निर्माण सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
   - (i) जिस समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या निदेशालय से बुनकर वर्कशेड दिया जा चुका हो वैसे समितियों/समूहों को वर्कशेड प्राथमिकता पर विचार नहीं किया जायेगा।
   - (ii) बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु दानपत्र एवं जमीन का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र सभी संबंधित प्रबंधक देना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आवेदन अमान्य माना जायेगा।
   - (iii) बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु दानपत्र एवं जमीन का भौतिक सत्यापन पत्र एक सप्ताह के अन्दर मूलप्रति झारक्राफ्ट मुख्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
   - (iv) बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु चयनित समितियों/समूहों को Check List के अनुकूल विपत्र जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा विपत्र अपूर्ण मान्य होगा।

Check List:- (क) समितियों/समूहों का आवेदन पत्र।
(ख) दानपत्र की मूलप्रति।
(ग) कलस्टर प्रबंधक द्वारा दानपत्र में दान की गई जमीन का भौतिक सत्यापन का विपत्र।
(घ) समितियों/समूहों का रेजुलेसिन पास होना चाहिए।
(ङ) समितियों/समूहों का अंकेक्षण प्रमाण पत्र।
(च) समितियों/समूहों का क्रिया–कलाप।
(छ) निवार्चन प्रमाण पत्र।

ह०/–
प्रबंध निदेशक
झारक्राफ्ट, राँची